न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 100 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान बनाम 1.रेशम पुत्र खिलू जाति मुसलमान निवासी तहसीलदार फतेहगढ़। देवीकोट तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 60 / 2012 बअनवान रेशम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2013 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री मोहम्मद अली रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 16.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम देवीकोट में बना नव सृजित ग्राम फतेहसर के खसरा नम्बर 631 रकबा 57.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 13.12.2013 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पीढीयाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम देवीकोट में आयी हुई है, समरी बन्दोबस्त में वादीगण के नाम खसरा संख्या 129 रकबा 57.10 बीघा इन्द्राज की गयी है और दौराने पैमाईश भू–प्रबन्ध हाल खसरा संख्या 664 रकबा 57.10 बीघा मौके पर मेरा व मेरे पुत्रों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैसलमेर में समरी बन्दोबस्त से पहले कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ था। समरी बन्दोबस्त के बाद संवत 2021–22 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश की गयी और कम्प्रेटिव रजिस्टर कायम किए गये। और कम्प्रेटिव रजिस्टर में रेस्पोडेंट के नाम समरी खसरा संख्या **129** जिसके वर्तमान भू–प्रबंध के खसरा संख्या **664** रकबा 57.10 बीघा कायम किए गये हैं। भू–प्रबंध विभाग के सहायक सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा उक्त इन्द्राजत बिना किसी आधार के उक्त खसरान का पर्चा लगान व पास बुक न देकर गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया। समरी खसरा संख्या 129 रकबा 57.10 बीघा के नये खसरा संख्या 664 रकबा 57.10 बीघा पर समरी बन्दोबश्त व सैटलमेंट के अनुसार मेरा काबिज काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भू–प्रबंध के खसरा संख्या 664 रकबा 57.10 बीघा बनाये गये थे, तत्पश्चात नया ग्राम अमरपुरा कायम होने पर उक्त भूमि देवीकोट से वर्तमान ग्राम **फतेहसर** में आ गई जिसकी वर्तमान खसरा संख्या 631 रकबा 57.10 बीघा पटवारी हल्का द्वारा कायम किया गया। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य कही भी खंडित नहीं हुई है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त भूमि रेस्पोडेंट की पीढीयाती कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी हैं जिस पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं जो स्वयं पटवारी हल्का के कथन से भी यह साबित है। लेकिन सेटलमेंट वालो ने गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मनमाने व बदनीती पूर्वक तरीके से बादग्रस्त भूमि रेकार्ड में सिंचायक दर्ज कर दी। जिसका भू-प्रबंध विभाग को सिंचायक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का ही अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट-छांट या उसे विलोपित करने का अधिकार नही था। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखत दृष्टांत पेश किये-

DNJ 1996 Page 397 (HC)
RRT 2008(1) Page 151

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों मे वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार फतेहगढ ने सहायक कलक्टर फतेहगढ के निर्णय दिनांक 13.12.2013 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 3 वर्ष 08 माह बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 13.12.2013 से रही हैं। रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार फतेहगढ के समक्ष निर्णय एवं डिक्री की पालना करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पर्चा लगान दिलाये जाने की कार्यवाही निर्णय होने के बाद में की गयी। जिस पर तहसीलदार फतेहगढ द्वारा पटवारी हल्का देवीकोट को जरिए पत्रांक राजस्व/2016/344 दिनांक 12.04.2016 को निर्णय सहायक कलक्टर फतेहगढ की पालना कर खसरा संख्या 631 रकबा 57.10 बीघा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने बाबत आदेशित किया गया (जानकारी होने के बावजूद भी दिनांक 28.06.2017 को अपील पेश की गई)। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेशानुसार रेस्पोडेंट के नाम नामांतरकरण संख्या 16 दिनांक 30.09.2016 को खसरा संख्या 631 के मिन खसरा संख्या 631/1127 रकबा 57.10 बीघा स्वीकृत किया हैं। और भूमि रेस्पोडेंट के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की गयी इसलिए अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त विलम्ब संतोषजनक ढंग से नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सद्भावी आधार नहीं होने से अपील पेश करने में सुदीर्घ विलंब हुआ है। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखत दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2008(1) Page 151(HC)
RRT 2012(2) Page 1299
RRT 2017(1) Page 131
RRT 2014(2) Page 1331
RRT 2007(2) Page 939(SC)

अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते हुए भी अपील प्रस्तुति में लगभग 03 वर्ष 08 माह की देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण मे मैरिट पर भी बहस भी सुनी जा चुकी है अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर होना भी उचित होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श–1 कम्प्रेटिव रजिस्टर सन् 1965 संवत 2021 की प्रविष्टि संख्या 12 के अनुसार ग्राम देवीकोट तहसील फतेहगढ के खसरा संख्या 129 रकबा 57.10 बीघा समरी सेटलमेंट में वादी/रेस्पोडेंट रेशम पुत्र खिलु कौम मेहर सा. देह. गैर खातेदार दर्ज थी जिसे हाल सेटलमेंट में उसका नाम कृषक के कॉलम में तो अंकित कर दिया गया परन्तु उसका भूमि संबंधी विवरण अंकित नहीं किया गया। ऐसा करने का कोई कारण इस अभिलेख में दर्ज नहीं है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में समरी सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। वादी की यह भूमि इससे पूर्व भी संवत 2018–21 (प्रदर्श–2) तथा इसके बाद भी संवत 2021–23 (प्रदर्श–3) खसरा परिवर्तनशील मुताबिक उसके कब्जे काश्त में थी एवं रही है। ढालबांछ संवत 2028, 2029, 2030 (प्रदर्श–7 से प्रदर्श–10) से वादी पर जुर्माना कायमी हुई। ग्राम देवीकोट का खसरा संख्या 664 रकबा 156.05 बीघा (प्रदर्श–12) राज रकबा अलावा जोत काबिल काश्त दर्ज होना पाया गया है। इसी तरह ग्राम देवीकोट के उक्त रकबा 156.05 बीघा का खसरा संख्या 631 जमाबंदी संवत 2065–68 (प्रदर्श–13) है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2064, 2065, 2067, 2068 (प्रदर्श–14 से 20) के अनुसार खसरा संख्या 631 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

156.05 बीघा में वादी के पुत्रों का पृथक–पृथक रकबा पर कब्जा काश्त रहा है। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र वादी रेशम, मनुखां, सादक खां के वाद–पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह अर्जुनसिंह पटवारी का कथन है कि खसरा संख्या 631 रकबा 156.05 बीघा राजकीय सिवायचक है, जिसके पड़ोसी खसरा संख्या 615 रेशम(वादी) का खेत है। उसका यह भी कथन है कि "ग्राम देवीकोट में एक नया ग्राम अमरपुरा बना तब राजस्व अधिकारियों ने खसरा संख्या 664 के 631 बनाए, जिसकी नकल पूर्व पटवारी द्वारा दी गई"। उपरोक्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित होता है कि वादी/रेस्पोडेंट का ग्राम देवीकोट में समरी खसरा में गैर खातेदार रूप में इन्द्राज था परन्तु वक्त सेटलमेंट उसकी प्रविष्टि बिना किसी कारण विलोपित कर दी गई। वादी का इससे पूर्व भी उसी समरी में दर्ज गैर खातेदारी भूमि पर एवं बाद में भी कब्जा काश्त रहा। उसकी समरी में दर्ज गैर खातेदारी राजकीय सिवायचक भूमि में समाहित कर दी गई। इसके बाद भी उसका उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर दावाकृत राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त होता रहा। इससे वादी अपनी समरी बंदोबस्त में दर्ज 57.10 बीघा गैर खातेदारी भूमि को पाने का अधिकारी ठहरता है। इसी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट करते हुए उसे वादग्रस्त राजकीय सिवायचक भूमि में से उसकी वक्त समरी सेटलमेंट में गैर खातेदार रूप में दर्ज भूमि रकबा 57.10 बीघा पर खातेदारी घोषणा की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से एवं मैरिट पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2012 बअनवान रेशम बनाम सरकार में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2013 को यथावत रखा जाता है।

16/5/19

(नख्तसिंह चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner